भाग III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 फरवरी, 2009

संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2009 - ——भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

भाग - I सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2009, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ङ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(व) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप क) सेवा।

भाग - II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानो वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में, पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हो और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पहले इक्कीस वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. सेवा में किन्हीं पदों पर नियुक्तियां परिशिष्ट 'ग' के विनिर्दिष्ट बताए अनुसार की जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो ऐसा करने के लिए लिखित रूप में, कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,— निर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वयं विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी : भर्ती का ढंग।

(क) मुख्य नगर योजनाकार की दशा में —

(i) वरिष्ठ नगर योजनाकारों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की सेवा में पहले से लगे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) वरिष्ठ नगर योजनाकार की दशा में,—

(i) जिला नगर योजनाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ग) अधीक्षक अभियंता की दशा में,—

(i) कार्यकारी अभियंता में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग की किसी इंजीनियरिंग सेवा से पहले से लगे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(घ) कार्यकारी अभियंता की दशा में,—

(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 50% उप-मण्डल अभियंताओं और सहायक अभियंताओं (नागरिक) में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(iii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा; अथवा

(ङ) जिला नगर योजनाकार की दशा में,—

(i) सहायक नगर योजनाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की सेवा में पहले से लगे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा-अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि, पूरी होने पर, नियुक्ति अधिकारी,—

(क) उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है : या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा मे विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो वह अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल, भी, समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें। वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे : अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध मे ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी : आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमो के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रुपयों में)
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य नगर योजनाकार	-	1	1	18400-500-22400 रुपये
2	वरिष्ठ नगर योजनाकार	-	1	1	13500-375-17250 रुपये
3	अधीक्षक अभियंता	-	1	1	13500-375-17250 रुपये
4	कार्यकारी अभियंता	1	-	1	10000-325-13900 रुपये
5	जिला नगर योजनाकार	-	1	1	10000-325-13900 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	मुख्य नगर योजनाकार	--	(i) नगर आयोजना संस्थान (भारत) का सहभागी सदस्य होने के लिए पात्र बनाने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर आयोजना में स्नातकोतर डिग्री अथवा डिप्लोमा ; अथवा क्रमशः इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा वास्तुकला संस्थान (भारत) के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में डिग्री या डिप्लोमा; (ii) वरिष्ठ नगर योजनाकार के पद पर तीन वर्ष का अनुभव ;
2	वरिष्ठ नगर योजनाकार	--	(i) नगर आयोजना संस्थान (भारत) का सहभागी सदस्य होने के लिए पात्र बनाने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर आयोजना में स्नातकोतर डिग्री अथवा डिप्लोमा ; अथवा क्रमशः इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा वास्तुकला संस्थान (भारत) के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला में डिग्री या डिप्लोमा; (ii) जिला नगर योजनाकार के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;
3	अधीक्षक अभियंता	--	(i) इंजीनियरिंग (सिविल) में डिग्री या समकक्ष ; (ii) कार्यकारी अभियंता के पद पर सात वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
4	कार्यकारी अभियंता	(i) इंजीनियरिंग (सिविल) में डिग्री। (ii) उप-मण्डल अभियन्ता/सहायक अभियंता के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव	(i) इंजीनियरिंग (सिविल) में डिग्री या समकक्ष ; (ii) उप-मण्डल अभियंता/सहायक अभियंता (नागरिक) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ;
5	जिला नगर योजनाकार	--	(i) नगर आयोजना संस्थान (भारत) का सहभागी सदस्य होने के लिए पात्र बनाने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा ; अथवा क्रमशः इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा वास्तुकला संस्थान (भारत) के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से वास्तुकला में डिग्री या डिप्लोमा; (ii) सहायक नगर योजनाकार के रूप में छह वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5	मुख्य नगर योजनाकार वरिष्ठ नगर योजनाकार अधीक्षक अभियंता कार्यकारी अभियन्ता जिला नगर योजनाकार	सरकार	**1. छोटी शास्तियां-** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी, (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय की हुई धन संबंधी हानि पूरी की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना ; **2. बड़ी शास्तियां-** (vक) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ; (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसके भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	सरकार	

1	2	3	4	5	6
			(vii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिसे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसी जिसे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;		
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
			(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: अयोग्यता नहीं होगी ;		
			(x) सेवा पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए, सामान्यत: अयोग्यता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1 2 3 4 5	मुख्य नगर योजनाकार वरिष्ठ नगर योजनाकार अधीक्षक अभियन्ता कार्यकारी अभियन्ता जिला नगर योजनाकार	(i) पेंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार

एस० सी० चौधरी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।